नई श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षाओं से अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन

भिवाड़ी टाइम्स

रेवाड़ी(भिवाड़ी टाइम्स)। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा।

सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा, और उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्ल्यूसी और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिसमें मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं गारंटीकृत हैं। खदान मजदूरों को भी फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा मिलेगी।

निदेशक (प्रभारी) ने अन्य प्रमुख लाभ बताते हुए निम्न बिंदुओं पर ज़ोर देते हुए कहा कि ये संहिताएं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और ज़रूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि पाली सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज़्यादा वेतन वाले रोजगार में अधिक कमाने के बराबर मौके मिलेंगे।

इस दौरान ईएसआईसी द्वारा प्रचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी सुनील यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

सुनील यादव ने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाज़ी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूएफआई इंडिया लिमिटेड, मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमिनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया।

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

सेमिनार में रेवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आरसीसीआई) के अध्यक्ष दीपक यादव, आरसीसीआई से कार्यकारी सदस्य रीना भट्ट, मैसर्स मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से एचआर प्रमुख सतीश यादव-एचआर प्रमुख सहित 50 से अधिक नियोजक एवं कंपनी प्रतिनिधि भी इस सेमीनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन श्रम संहिताओं एवं योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक सचिन सिंह के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, जयप्रकाश यादव तथा सीमा कपूर उपस्थित रही।

नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सुगमता से मिलेंगे हितलाभ : सुनील यादव

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

नवबिहार दूत संवाददाता

रेवाड़ी (हरियाणा) श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरूआत हो गई है।

निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा। सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा, और उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्ल्यूसी और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिसमें मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआईसी मेडिकल सुविधाएं गारंटीकृत हैं। खदान मजदूरों को भी फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा मिलेगी। निदेशक (प्रभारी) ने अन्य प्रमुख लाभ बताते हुए निम्न बिंदुओं पर जोर देते हुए कहा कि ये संहिताएं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि पाली सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज्यादा वेतन वाले रोजगार में अधिक कमाने के बराबर मौके मिलेंगे। इस दौरान ईएसआईसी द्वारा प्रचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी सुनील यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे। सुनील यादव ने कहा कि इस योजना का आधार दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि स्वैच्छिक अनुपालन है। इससे मुकदमेबाजी का बोझ घटेगा, औपचारिक पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा और नियोक्ताओं व कर्मचारियों के बीच बेहतर विश्वास व सहयोग का माहौल बनेगा। सेमीनार में मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स यूएफआई इंडिया लिमिटेड, मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड आदि नियोक्ताओं ने इस सेमिनार में इन योजनाओं से संबंधित अपने प्रश्न एवं समस्या सुनील यादव के समक्ष रखी। जिनका जवाब एवं निपटान उसी समय किया गया। निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

सेमिनार में रेवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आरसीसीआई) के अध्यक्ष दीपक यादव, आरसीसीआई से कार्यकारी सदस्य रीना भट्ट, मैसर्स मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से एचआर प्रमुख सतीश यादव-एचआर प्रमुख सहित 50 से अधिक नियोजक एवं कंपनी प्रतिनिधि भी इस सेमीनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन श्रम संहिताओं एवं योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे।

इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक सचिन सिंह के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, जयप्रकाश यादव तथा सीमा कपूर उपस्थित रही।

स्प्री व एमनेस्टी योजना से मिलेंगे हितलाभ : सुनील

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रेवाड़ी

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ईएसआईसी के निदेशक सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित निजी कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरूआत हो गई है। सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा, और उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्प्री योजना 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

रेवाड़ी। सेमिनार में कर्मचारियों का जानकारी देते अधिकारी। फोटो : हरिभूमि

ये रहे मौजूद

उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम से उप निदेशक सचिन सिंह के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, जयप्रकाश यादव तथा सीमा कपूर उपस्थित थे।

एमनेस्टी योजना से सुलझेंगे विवाद

निदेशक ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है। सेमिनार में आरसीसीआई के अध्यक्ष दीपक यादव, आरसीसीआई से कार्यकारी सदस्य रीना भट्ट, मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से एचआर प्रमुख सतीश आदि शामिल हुए।

नई श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षाओं से अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन

हरियाणा ज्योति/अरोड़ा/रेवाड़ी। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा।

ईएसआईसी के निदेशक ने बावल में हुए सेमीनार में दी जानकारी

ईएसआई, श्रम सुविधा व कंपनी मामलों के पोर्टल से हो सकता है उद्योगों और कर्मियों का पंजीकरण

भास्कर न्यूज़ | रेवाड़ी

श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने कहा कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वेच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा।

स्प्री-2025 और एमनेस्टी योजना से बढ़ेगा सामाजिक सुरक्षा का दायरा

एमनेस्टी योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है। सेमिनार में रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आरसीसीआई) के अध्यक्ष दीपक यादव, आरसीसीआई से कार्यकारी सदस्य रीना भट्ट, एचआर प्रमुख सतीश यादव सहित 50 से अधिक नियोजक एवं कंपनी प्रतिनिधि शामिल हुए। उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम से उप निदेशक सचिन सिंह के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, जयप्रकाश यादव तथा सीमा कपूर सहित अन्य उपस्थित रहे।

खदान मजदूरों को भी मिलेगी हेल्थ चेक-अप सुविधा

सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा और उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्ल्यूसी और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिसमें मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं गारंटीकृत हैं। खदान मजदूरों को भी फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा मिलेगी। निदेशक (प्रभारी) ने कहा कि महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि पाली सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज्यादा वेतन वाले रोजगार में अधिक कमाने के बराबर मौके मिलेंगे।

40 से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच

- ईएसआइसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने बावल में हुए सेमिनार में दी जानकारी
- सेमिनार में नई श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षाओं से कराया अवगत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ीः श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है।

सेमिनार में जानकारी देते ईएसआइसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव • सौ. प्रवक्ता

निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआइसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। अब गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा।

नियोक्ताओं को 40 से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा। महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि शिफ्ट सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज्यादा वेतन वाले रोजगार में अधिक कमाने के बराबर मौके मिलेंगे।

नई श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षाओं से अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन

नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सुगमता से मिलेंगे हितलाभः सुनील

रेवाड़ी, शशि सैनी (पंजाब केसरी) : श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है।

निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा, 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा। सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा, और उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्ल्यूसी और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिसमें मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं गारंटीकृत हैं। खदान मजदूरों को भी फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा मिलेगी।

निदेशक (प्रभारी) ने अन्य प्रमुख लाभ बताते हुए निम्न बिंदुओं पर जोर देते हुए कहा कि ये संहिताएं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती हैं और हरियाणा के श्रम पारितंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाती हैं। महिलाओं को उनकी सहमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ, रात्रि पाली सहित सभी जगहों पर सभी तरह के काम करने की इजाजत है, जिससे उन्हें ज्यादा वेतन वाले रोजगार में अधिक कमाने के बराबर मौके मिलेंगे।

इस दौरान ईएसआईसी द्वारा प्रचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी सुनील यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि स्प्री योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत वे सभी उद्योग और कर्मचारी, जो अब तक ईएसआईसी से नहीं जुड़े हैं, बिना पुराने बकाया की मांग का सामना किए पंजीकरण करा सकेंगे। नियोक्ता अपने उद्योगों और कर्मचारियों का पंजीकरण ईएसआई पोर्टल, श्रम सुविधा पोर्टल और कंपनी मामलों के पोर्टल के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत जो नियोक्ता पंजीकरण कराएंगे, उन्हें उनकी पंजीकरण की तिथि या उनके द्वारा घोषित तिथि से कवर्ड माना जाएगा। नए पंजीकृत कर्मचारियों को भी उनकी पंजीकरण की तिथि से ही ईएसआई लाभ मिलने लगेंगे।

सेमिनार में उद्योगपतियों को नई श्रम संहिताओं की जानकारी देते अतिथिगण।

एमनेस्टी योजना 2025 से सुलझेंगे विवाद

निदेशक (प्रभारी) ने बताया कि निगम ने सर्व-क्षमा योजना 2025 को भी मंजूरी दी है। यह योजना एकमुश्त विवाद समाधान योजना है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसमें कवरेज से जुड़े नुकसान, ब्याज और अन्य विवादों का निपटारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य मुकदमों की संख्या कम करना और नियोक्ताओं को राहत देते हुए ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन को और अधिक मजबूत करना है।

● ईएसआईसी के निदेशक ने बावल में हुए सेमीनार में दी जानकारी

उद्योग जगत ने किया स्वागत

सेमिनार में रेवाडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (आरसीसीआई) के अध्यक्ष दीपक यादव, आरसीसीआई से कार्यकारी सदस्य रीना भट्ट, मैसर्स मुंजाल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड से एचआर प्रमुख सतीश यादव-एचआर प्रमुख सहित 50 से अधिक नियोजक एवं कंपनी प्रतिनिधि भी इस सेमीनार में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इन श्रम संहिताओं एवं योजनाओं से छोटे-बड़े उद्योगों को राहत मिलेगी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा के लाभ आसानी से प्राप्त होंगे। इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय गुरुग्राम की तरफ से उप निदेशक सचिन सिंह के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोज सचदेवा, जयप्रकाश यादव तथा सीमा कपूर उपस्थित रही।

बागान मजदूरों को अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया

बावल में चार श्रम संहिताओं को लेकर लोगों को कानून की दी जानकारी

नई श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षा की जानकारी लेते कर्मचारी। स्रोत : प्रशासन

संवाद न्यूज एजेंसी

बावल। शनिवार को बावल में चार श्रम संहिताओं को लेकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक सुनील यादव ने कर्मचारियों को कानूनों को लेकर जानकारी दी।

निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा।

नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा। 10 से कम कर्मचारियों वाली जगहों के लिए कवरेज स्वैच्छिक होगा, जबकि खतरनाक कामों में लगे एक भी कर्मचारी वाली जगहों के लिए यह अनिवार्य होगा। सुनील यादव ने बताया कि मुख्य नियोक्ता अनुबंध कामगारों को स्वास्थ्य लाभ और सामाजिक सुरक्षा लाभ देगा।

उन्हें सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच सुविधा मिलेगी। बागान मजदूरों को अब ओएसएचडब्ल्यूसी और सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाया गया है, जिसमें मजदूरों और उनके परिवारों को पूरी ईएसआई मेडिकल सुविधाएं गारंटीकृत हैं। खदान मजदूरों को भी फ्री सालाना हेल्थ चेक-अप की सुविधा मिलेगी। वहीं लोगों का कहना है कि कर्मियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्रम संहिताओं से मिलने वाले हितलाभों एवं सुरक्षाओं से अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन

रेवाड़ी, राय सिंह, गंगापुत्रा टाईम्स।श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है।निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

श्रम संहिताओं से मिलने वाले लाभों व सुरक्षाओं से कराया अवगत

ईएसआईसी के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने बावल में हुए सेमिनार में दी जानकारी

रेवाड़ी, 20 दिसम्बर (नवोदय टाइम्स): श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चार श्रम संहिताओं (वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता) को लागू करने के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं औद्योगिक मंडल, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को अवगत कराने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया।

नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सुगमता से मिलेंगे हितलाभ–सुनील यादव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के निदेशक (प्रभारी) सुनील यादव ने शनिवार को बावल में स्थित मैसर्स इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि श्रम संहिताओं के लागू होने की ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही देश के श्रमबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। निदेशक प्रभारी ने लेबर कोड से होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के लागू होने से हरियाणा के श्रमिकों को मिलने वाले ईएसआईसी कवरेज और लाभों में एक महत्वपूर्ण विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि अब गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाया जाएगा। नियोक्ताओं को 40 साल से अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य होगा।